



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21072025-264852
CG-DL-E-21072025-264852

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3224]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 18, 2025/आषाढ़ 27, 1947

No. 3224]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 18, 2025/ASHADHA 27, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2025

का.आ. 3297 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5232(E) तारीख 04/12/2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्गा जिले में NH150A के डिजाइन किमी 410.600 (मौजूदा किमी 413.740) किमी 441.900 (मौजूदा किमी 447.610) डिजाइन करने के लिए (हिरियूर - हुलियार खंड) तक के निर्माण (चौड़ीकरण / 4-लेन का बनाना आदि) अनुक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "10/12/2024 " को "प्रजावाणी" और "डेक्कन हेराल्ड" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्गा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 150A के डिजाइन किमी 410.600 (मौजूदा किमी. 413.740) किमी. 441.900 (मौजूदा किमी. 447.610) डिजाइन करने के लिए (हिरियूर - हुलियार खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: कर्नाटक			जिले का नाम: चित्रदुर्गा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: हिरियूर					
गांव का नाम: यल्लदाकेरे					
1	90	निजी	ड्राय	0.040469	ग्रामना एँस् ओ श्यामय्या 90/2A
2	90	निजी	ड्राय	0.0025	दोड्डेकेंचप्पा एँस् ओ डोड्डा जडियप्पा 90/4
3	91/1	निजी	गार्डन	0.030352	लक्कम्मा डबल्यू/ओ केंचप्पा भैरप्पा एँस्/ओ केंचप्पा रंगस्वामी नरसिम्हैया दोड्डेकेंचप्पा एँस्/ओ डोड्डा जडियप्पा
Total				0.073321	

[फा. सं. 12037/57/2016-KNT(P-6)/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2025

S.O. 3297(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **5232(E) Dated:04/12/2024**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four laning etc.), Maintenance, management and operation of NH150A in the stretch of land from design Km 410.600 (Existing Km 413.740) to design Km 441.900 (Existing Km 447.610) (Hiriyur - Huliya Section) in the district of CHITRADURGA in the state of KARNATAKA

And whereas the substance of the said notification has been published in “Prajavani” and “Deccan Herald” both dated **10/12/2024**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from design Km 410.600 (Existing Km 413.740) to design Km 441.900 (Existing Km 447.610) (Hiriyur - Huliya Section) of NH 150A in the state of KARNATAKA.

State: KARNATAKA			District: CHITRADURGA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Hiriyur					
Village: Yalladakere					
1	90	Private	Dry	0.040469	Dyamanna S o Shyamayya 90/2A
2	90	Private	Dry	0.0025	Doddakenchappa S o Dodda Jadyappa 90/4
3	91/1	Private	Garden	0.030352	Lakkamma W/o Kenchappa Bhyrappa S/o Kenchappa Rangaswamy Narasimhaiah Doddakenchapp S/o Dodda Jadyappa
Total				0.073321	

[F. No. 12037/57/2016-KNT(P-6)/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director